संख्या- 21/2018/1642-53-2-18-2(29)17टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

विषयः-उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय गोवंश की गाय के दूध में वृद्धि करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए "नन्द बाबा पुरस्कार" प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2001 से गोकुल पुरस्कार वितरण की व्यवस्था की गयी है। जिसके अंतर्गत प्रदेश स्तर एवं जनपद स्तर पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले कृषक को प्रतिवर्ष गोकुल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय गोवंश की गाय के दूध में वृद्धि करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अब तक किसी पुरस्कार की कोई व्यवस्था नही थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश में भारतीय गोवंश की गाय के दुग्ध उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने तथा उन्हें भारतीय गोवंश की गाय के रख-रखाव हेतु उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड/जनपद/राज्य स्तर पर भारतीय गोवंश की गाय के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले एक दुग्ध उत्पादक को, जो दुग्ध विकास विभाग के अधीन कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अन्तर्गत गठित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य हो तथा समिति के माध्यम से दुग्ध संघ को वर्ष में कम से कम 1500 ली0 दूध का विक्रय किया हो, को निम्नानुसार "नन्द बाबा पुरस्कार" वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(क) प्रथम पुरस्कार की धनराशि, शील्ड एवं प्रमाण पत्र -

i	विकास खण्ड स्तर पर	रू0 5100/- की धनराशि
ii	जनपद स्तर पर	रू0 21000/- की धनराशि
iii	राज्य स्तर स्तर पर	रू0 51000/- की धनराशि

(2) उपर्युक्त पुरस्कारों में जिन्हें जनपद स्तर का पुरस्कार प्राप्त होगा उन्हें विकास खण्ड स्तर का एवं जिन्हें प्रदेश स्तर का पुरस्कार प्राप्त होगा उन्हें जनपद स्तर का पुरस्कार प्रदान नहीं किया जायेगा।

(3) प्रदेश के किसी जनपद में दुग्ध संघ को सर्वाधिक दूध की आपूर्ति करने वाले सहकारी समिति के दुग्ध उत्पादक के चयन प्रक्रिया हेतु दुग्ध संघ परिक्षेत्र के जनपद विशेष में समस्त पंजीकृत

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दुग्ध सहकारी समितियॉ वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक भारतीय गोवंश की गाय का दूध देने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्य (उनसे दुग्ध के क्रय एवं दुग्ध मूल्य भुगतान रजिस्टर के आधार पर) का विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर सूचना संबंधित प्रबन्ध समिति से प्रस्ताव पारित कराके दुग्ध संघ को उपलब्ध करायेगी।

(4) दुग्ध संघ द्वारा जनपद की समस्त पंजीकृत समितियों से प्राप्त सूचियों का मिलान कर विकास खण्ड/जनपद/प्रदेश स्तरीय निम्नवत कमेटी के समक्ष चयन हेतु प्रस्तुत की जायेगीः-

(ख) विकास खण्ड स्तर परः- विकास खण्ड के क्षेत्र में कार्यरत, पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों में से, जिस सदस्य के द्वारा भारतीय गोवंश की गाय से प्राप्त सर्वाधिक दुग्ध की मात्रा जो 1500 ली0 से कम न हो समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को आपूर्ति किया जायेगा, का चयन किया जायेगा। चयनित लाभार्थी को रू0 5100/- की धनराशि, प्रमाण पत्र एवं एक प्रतीक चिन्ह, के रूप में पीतल की धातु पर भारतीय गोवंश की गाय एवं बछड़े के साथ नन्दबाबा की मूर्ति पुरस्कार स्वरुप दिया जायेगा। समिति स्तर पर भारतीय गोवंश की गाय के दूध को खरीद रजिस्टर एवं भुगतान बही पर पृथक से अंकित किया जायेगा। समिति स्तर पर भारतीय गोवंश की गाय के पशुपालको का पूर्ण विवरण तैयार कराकर रखा जायेगा तथा समय-समय पर अपडेट/अद्यतन किया जायेगा। इसकी संकलित सूचना दुग्ध संघ स्तर पर भी रखी जायेगी।

विकास खण्ड स्तरीय चयन समिति

1	खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड	अध्यक्ष
2	विकास खण्ड पर तैनात पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
3	उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/राजकीयक्षे0पर्य0/दुग्ध निरीक्षक	सदस्य
4	स्थानीय प्रभारी/प्रभारी पी0 एण्ड0आई/मार्ग प्रभारी दुग्ध संघ	सदस्य-सचिव

(ग) जनपद स्तर परः- पूरे जनपद के समस्त विकास खण्डों में चयनित लाभार्थियों में भारतीय गोवंश से सर्वाधिक दुग्ध मात्रा, जो समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को आपूर्ति की जायेगी, का चयन किया जायेगा तथा जनपद स्तरीय पुरस्कार विजेता को रू0 21000/- की धनराशि, प्रमाण पत्र एवं एक प्रतीक चिन्ह के रूप में पीतल की धातु पर भारतीय गोवंश की गाय एवं बछड़े के साथ नन्दबाबा की मूर्ति पुरस्कार स्वरुप दिया जायेगा।

जनपद स्तरीय चयन समिति

1	मुख्य विकास अधिकारी सम्बन्धित जनपद	अध्यक्ष
2	उपदुग्धशाला विकास अधिकारी/ दुग्धशाला विकास अधिकारी	सदस्य
3	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	स्थानीय प्रभारी दुग्ध संघ	सदस्य
5	इकाई प्रभारी दुग्ध संघ	सदस्य-सचिव

जनपद स्तर पर लाभार्थी का चयन हो जाने के उपरान्त विकास खण्ड वार दुग्ध समिति वार सूचना संकलित कर रखी जायेगी तथा जनपद स्तर पर सर्वाधिक भारतीय गोवंश द्वारा दूध, दुग्ध

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समिति को आपूर्ति करने वाले पशुपालक का चयन कर उसका प्रस्ताव प्रबन्ध निदेशक पीसीडीएफ, लखनऊ एवं दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास जवाहर भवन, लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा।

(घ) राज्य स्तरीय पुरस्कारः- समस्त जनपद स्तरीय पुरस्कार विजेताओं का चयन हो जाने के उपरान्त राज्य स्तर पर भारतीय गोवंश से सर्वाधिक दूध की मात्रा, जो समिति के माध्यम से दुग्ध संघ को आपूर्ति की गई है, के आधार पर लाभार्थी चयन किया जायेगा, लाभार्थी को राज्य स्तर पर रू0 51000/- की धनराशि, प्रमाण पत्र एवं एक प्रतीक चिन्ह पीतल की भारतीय गोवंश की गाय एवं बछड़े के साथ नन्द बाबा की मूर्ति पुरस्कार स्वरुप दी जायेगी।

राज्य स्तरीय चयन समितिः-

1	मुख्य महाप्रबन्धक, पी0सी0डी0एफ0, लखनऊ।	अध्यक्ष
2	निदेशक,पशुपालन विभाग,उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
3	प्रभारी(समन्वय), पी0सी0डी0एफ0,लखनऊ।	सदस्य
4	प्रभारी(वित्त), पी0सी0डी0एफ0,लखनऊ।	सदस्य
5	प्रभारी(एम0एस0डी0), पी0सी0डी0एफ0,लखनऊ।	सदस्य
6	प्रभारी (पी0 एण्ड आई0) पी0सी0डी0एफ0, लखनऊ।	सदस्य-सचिव

(5) पंजीकृत कार्यरत दुग्ध समितिया, जिसमें भारतीय गोवंश के पशुपालक दुग्ध समितियों में हों, के चयन की कार्यवाही की जायेगी अथवा जिन विकास खण्ड क्षेत्र में पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियॉ कार्यरत नहीं है वहॉ चयन की कार्यवाही नही की जायेगी तथा इकाई प्रभारी दुग्ध संघ एवं उपदुग्धशाला विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि विकास खण्ड के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत दुग्ध समितियॉ कार्यरत नही है इस कारण से विकास खण्ड में चयन की कार्यवाही नही की गयी।

(6) समिति स्तर पर भारतीय गोवंश नस्ल की गाय के दूध की आपूर्ति एवं उसका लेखा-जोखा माह अप्रैल से माह नवम्बर तक पृथक से रखे जाने के उपरान्त इस अवधि में सर्वाधिक दूध आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक वर्ष चयन कर अगले 3 माह के अन्दर नन्द बाबा पुरस्कार वितरित किया जायेगा।

(7)पुरस्कार वितरण कार्यक्रमः-

(क) विकास खण्ड स्तर पर भारतीय गोवंश की गाय से सर्वाधिक दुग्ध मात्रा समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को आपूर्ति करने वाले पशु पालकों का चयन पूर्ण हो जाने पर जनपद स्तर पर एक तिथि निर्धारित कर जनपदीय जनप्रतिधियों/अध्यक्ष दुग्ध संघ/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड स्तरीय पुरस्कारों का वितरण किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) जनपद स्तरीय पुरस्कार एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार का वितरण राज्य स्तर पर मा0 मुख्यमंत्री जी अथवा मा0 दुग्ध विकास मंत्री जी के माध्यम से किया जायेगा।

3- अतः कृपया उपर्युक्त प्रस्तर-2 में लिए गए निर्णयानुसार **"नन्द बाबा पुरस्कार"** वितरण किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 21/2018/1642(1)-53-2-18-2(29)17टीसी, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग,उ0प्र0 शासन।
3- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- सचिव, उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद, जवाहर भवन लखनऊ
6- मुख्य महाप्रबन्ध, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ ।
7- निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
11- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
12- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in